

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/08/2013-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार
ल कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 08 जनवरी, 2014

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं गृह मंत्रालय की सहमति से श्री लालरिनलियाना फनाई, आई.ए.एस. (उत्तराखण्ड:97) की उत्तराखण्ड संवर्ग (वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर) से एजीएमयूटी संवर्ग के मिजौरम खण्ड में वैयक्तिक आधार पर तीन वर्षों की अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।


(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)